भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5022

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट क्षेत्र का विकास

5022. श्री भैरों प्रसाद मिश्र :

श्री गौरव गोगोईः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय कारपोरेट क्षेत्र द्वारा किए गए विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कारपोरेट/विदेशी कंपनियों, दोनों के लिए और आम आदमी के लिए कारपोरेट क्षेत्र में व्यापार करने को सरल बनाने में सफलता प्राप्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी दो वर्षों के लिए उक्त प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) देश में गत तीन वर्षों में भारतीय कारपोरेट क्षेत्र द्वारा सृजित किए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कारपोरेट क्षेत्र के विकास के संवर्धन में क्या वैकल्पिक उपाय अपनाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए सक्रिय कंपनियों की संख्या के संदर्भ में भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के विकास का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

31 मार्च तक	संख्या
2014	9,52,433
2015	10,22,011
2016	10,88,780
2017*	11,58,095

*28.02.2017 की स्थिति के अनुसार

.....2/-

(ख) और (ग): जी, हां। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में देशों को डिस्टेंस टू फ्रंटियर, मानक के आधार पर रैंकिंग दी जाती है जिसके द्वारा भारत और दस निर्दिष्ट सूचकांकों में वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों के बीच दूरी का मूल्यांकन किया जाता है। भारत का पूर्ण स्कोर डीबीआर 2016 में 53.93 से बढ़कर डीबीआर 2017 में 55.27 हो गया है। भारत ने लगातार दो वर्षों में पहली बार अपने पूर्ण स्कोर में सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, भारत का दस सूचकांकों में से सात में डिस्टेंस फ्रंटियर स्कोर में सुधार हुआ है जो यह दर्शाता है कि भारत लगातार सर्वोत्तम व्यवहारों की ओर बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य भारत में व्यापार नियामक परिवेश और विश्व बैंक की डूइंज बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार करना है। देश में व्यापार परिवेश को आसान बनाने के लिए डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों के संबंध में देश में किए गए सुधार अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(घ): देश में रोजगार की स्थिति पर कारपोरेट विकास के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ङ.): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने देश में कारपोरेट क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) कंपनियों द्वारा निगमन के समय न्यूनतम समादत्त पूंजी का भुगतान करने और व्यापार प्रारंभ करने की घोषणा की अपेक्षा हटाना, (ii) कंपनियों के लिए अनिवार्य साझी मुहर को वैकल्पिक करना, (iii) कंपनियों के नाम उपलब्धता और निगमन/रजिस्ट्रीकरण के लिए सरकारी प्रक्रिया रीइंजिनियरिंग (जीपीआर) के एक भाग के रूप में केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना करना, (iv) कंपनियों का इलेक्ट्रोनिक रूप से निगमन करने के लिए सरलीकृत प्ररूप (स्पाइस) लागू करना, और (v) स्टार्ट-अप सहित कंपनियों को कुछ शर्तों के अधीन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से विभिन्न प्रकार की छूट/रियायतें प्रदान करना शामिल है।

*****

अनुलग्नक-I

कारपोरेट क्षेत्र का विकास से संबंधित दिनांक 31 मार्च, 2017 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5022 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

व्यापार करने की आसानी (02.02.2017 की स्थिति के अनुसार)

1. व्यापार करने में आसानी हमारी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान की मूल प्राथमिकता है। हम भारत के युवाओं के लिए अपेक्षित नौकरी के अवसर तभी सृजित कर सकेंगे जबकि हम भारत में व्यापार के लिए निवेश, परिचालन और बने रहने को आसान बनाए। व्यापार करने में आसानी सूचकांक का उद्देश्य व्यापार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले विनियमों का मूल्यांकन करना और किसी राष्ट्र की रैंकिंग दस सूचकांकों की औसत पर आधारित है।

2. केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ पिछले दो वर्ष के दौरान एक स्ट्रैटेजिक और व्यापक सुधार पैकेज प्रारंभ किया है जिसने निवेशकों का विश्वास बढाने में काफी योगदान दिया है।

3. डुईंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) 2016 में भारत 12 स्थान आगे पहुंच गया है। तथापि केंद्र और राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों और सुधारों के बावजूद 2017 की रिपोर्ट में इस रैंकिंग में काफी कम प्रगति दिखाई गई है। विश्व बैंक ने 10 सूचकाको में से 4 के अंतर्गत सुधारों को मान्यता दी है। विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक अर्थव्यवस्था और उस श्रेणी में सर्वोत्तम निष्पादन के बीच दूरी का पता लगाने के लिए "डिस्टेंस टू फ्रंटियर" (डीटीएफ) अंक मानक में 10 सूचकांकों में से 7 में सुधार हुआ है।

4. डीबीआर 2017 में उल्लिखित कुछ सुधार दिल्ली में 'गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राज्य बीमा अंशदान में कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से 'पेइंग टैक्स', आईसगेट पोर्टल शुरू करके और बार्डर तथा दस्तावेजी प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा 'ट्रेडिंग एक्रास बार्डर्स' और वाणिज्यिक मामलों के समाधान के लिए समर्पित प्रभागों की स्थापना करके 'एनफोर्सिंग कान्ट्रेक्ट्स' मानकों में किए गए है। इस रिपोर्ट में दिल्ली में व्यापार को बिजली के क्नैक्शन उपलब्ध कराने में समय और लागत में की गई महत्वपूर्ण कटौती को देखते हुए भारत की विशेष रूप से सराहना की गई है।

5. देश में व्यापार करने की आसानी के परिवेश के प्रति हमारे देश द्वारा किए गए कुछ सुधारों की सूची इस प्रकार हैः-

व्यापार करने के विभिन्न मानदण्डों पर किए गए संशोधन

1. व्यापार आरंभ करना

- कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 में निगमन के लिए सांझी कंपनी मुहर की आवश्यकता को समाप्त किया गया है।
- इएसआईसी और इपीएफओ के साथ रजिस्ट्रीकरण को सभी भौतिक स्पर्श बिन्दुओं को समाप्त करने के माध्यम से वास्तविक बनाया गया है.
- इएसआईसी और इपीएफओ के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में बैंक खाता खोलने की अपेक्षा समाप्त की गई है।
- 16 श्रम अधिनियमों के अधीन विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) जारी करने और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए और जोखिम पर आधारित जांच को सरल बनाने के लिए "श्रम सुविधा" पोर्टल की शुरुआत की गई है।

- महाराष्ट्र ने वैट और व्यवसायिक कर के साथ रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को एकीकृत कर दिया है। अब मुम्बई में रजिस्ट्रीकरण की अनुमति चौबीस घंटे के अंदर दी जा रही है।

.....2/-

- कंपनियों के निगमन के लिए स्पाइस प्ररूप को एकल आवेदन के रूप में अधिसूचित (दिनांक 01.01.2017 से) किया गया है। निगमन प्ररूप दायर करने के लिए शुल्क 2000/- रुपये से कम करके 500/- रुपये कर दिए गए हैं।
- 36 श्वेत उद्योगों के लिए किसी प्रकार का पर्यावरण अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।
- खनन खोज परियोजनाओं को वन अनुमोदन के अनुदान के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) की अपेक्षाओं से छूट दी गई है।
- 100 हेक्टेयर से कम वन भूमि पर बने खनन खोज परियोजना में नई सड़कों के निर्माण/बोर होल की खुदाई/पिट नमूना एकत्रिकरण के लिए किसी प्रकार के स्थान की जांच अपेक्षित नहीं है।
- पर्यावरण अनुमोदन वैधता 5 वर्ष से 7 वर्ष तक बढ़ाई गई है।
- पर्यावरण/वन/वन्य जीवन अनुमोदन के लिए आवेदन में पारदर्शीता एवं शीघ्र निर्णय के लिए ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण का प्रावधान है।
- जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन 5 हेक्टेयर के निजी पट्टे और 25 हेक्टेयर के समूह पट्टे में अल्प खनिजों के खनन के लिए ईसी अनुदान के लिए किया गया है।
- उप राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय सशक्त समितियों को निम्नलिखित वन अनुमोदन के प्रस्तावों के निपटान के लिए उच्चतर शक्तियां दी गई हैं।

  (क) जिसमें 5 से 40 हेक्टेयर वन भूमि परिवर्तन शामिल है, और

  (ख) वन भूमि क्षेत्र शामिल होने के बावजूद एक जैसी परियोजनाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन सहित सभी प्रस्ताव भी शामिल है।
- राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों को वन संरक्षण अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना ही पेड़ काटने का अनुमोदन जारी करने और समान परियोजनाओं की एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य आरंभ करने की शक्ति दी गई है।

2. निर्माण अनुज्ञप्तियां

- ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) ने आंतरिक विभागों और बाहरी विभागों जैसे एएआई और एनएमए में सामान्य आवेदन प्ररूप के माध्यम से एकीकरण द्वारा एकल विंडो अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।
- मुंबई में एकल विंडो अनुमोदन प्रणाली के माध्यम से एक साथ भवन कार्य समापन प्रमाणपत्र और दखल प्रमाणपत्र निकाले जा सकते हैं।
- निर्माण अनुमति के लिए निर्माण स्थल जांच को स्व प्रमाणिकरण और तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण आरंभ करने के माध्यम से सीमित कर दिया गया है। स्वचालित डीसीआर प्रणाली में, निर्माण के दौरान, आर्किटेक्टों द्वारा वीडियो क्लिप प्रस्तुतीकरण की शुरूआत की गई है।
- भवन निर्माण नक्शों की संवीक्षा के लिए स्वचालित सीएडी पर आधारित सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया गया है।
- दिल्ली नगर निगम और ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने बिल्डिंग अनुमति आवेदन और मानचित्रों के डिजिटल हस्ताक्षर की शुरूआत की है जिसके कारण दस्तावेजों के भौतिक प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता समाप्त की गई है। निर्माण अनुमति के अनुदान के लिए हस्तलिखित आवेदन की आवश्यकता को समाप्त किया गया है।
- ग्रेटर मुंबई नगर निगम और दिल्ली नगर निगम एकल विंडो आवेदन प्रणाली में आवेदन के ऑनलाइन अंतरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र की ऑनलाइन प्राप्ति का प्रावधान है।
- दिल्ली नगर निगम ने आंतरिक विभागों और बाहरी विभागों जैसे डीएमआरसी, दिल्ली दमकल सेवाएं, डीयूएमसी, एएआई और एनएमए में सामान्य आवेदन प्ररूप के माध्यम से एकीकरण द्वारा एकल विंडों अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। यदि भवन में किसी प्रकार के विनिर्माण कार्यकलाप नहीं किए जा रहे हैं तो श्रम विभाग, दिल्ली सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित नहीं है।

- दिल्ली नगर निगम ने कर भुगतान प्राप्ति एकत्र करने के लिए आवेदक द्वारा संपत्ति कर विभाग जाने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एकीकृत भवन उप नियम अधिसूचित किए हैं। एकीकृत भवन उप नियम में 30 दिनों के भीतर भवन निर्माण नक्शे की स्वीकृति के लिए धारणा अनुमोदन का प्रावधान है।
- एएआई, डीयूएसी और डीएमआरसी द्वारा रंगीन कोड वाले मानचित्र विकसित किए गए हैं जिससे आवेदक यह निर्धारित करने के लिए सक्षम हो कि क्या उस भूमि जिसके लिए अनुमोदन का आवेदन किया गया है, के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित है।

- 88% भवन योजनाएं दिल्ली नगर निगम द्वारा ऑनलाइन अनुमोदित की गई हैं।
- दिल्ली जल बोर्ड द्वारा व्यावसायिक/औद्योगिक कनेक्शनों के लिए अवसंरचना औद्योगिक शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं। व्यावसायिक और औद्योगिक पानी के कनेक्शन के लिए विकास प्रभार 50 वर्ग मीटर तक के लिए 45000रु. है और 50 वर्ग मीटर से अधिक के लिए 1 लाख रु. है।

3. बिजली का कनेक्शन लेना

- महाराष्ट्र और दिल्ली में 100 केवीए से ऊपर के कनेक्शनों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है।
- दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने एलटी और एचटी शुल्क तर्कसंगत किया है, जिससे 150केवीए तक के एलटी कनेक्शनों को अनुमति देता है।
- दिल्ली और मुंबई में नया बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को कम करके 3 प्रक्रियाएं कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, डीईआरसी ने बिजली का कनेक्शन अपेक्षाकृत शीघ्र देने के लिए दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता और निष्पादन मानक विनिमय, 2007 के आवेदन प्रारूप को संशोधित किया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को घोषणा प्रपत्र सहित संशोधित प्रारूप में आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं।

बिजली का कनेक्शन लेने के लिए निम्नलिखित दो दस्तावेज अपेक्षित हैं :-

1. पहचान सबूत
2. परिसर के स्वामित्व / कब्जे का सबूत

- नए उद्योग या परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए औद्योगिक बिजली कनेक्शन प्राप्त करने हेतु स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र/सहमति अपेक्षित नहीं होती है।
- 500केवीए तक के ट्रांसफॉर्मरों को दो खंभों की संरचना पर लगाने की अनुमति देने हेतु केन्द्रीय नियामक प्राधिकरण विनियम में संशोधन किया गया है।
- 11 केवी लगाने हेतु इलेक्ट्रिकल अनुमोदन को समाप्त करने और डिस्कॉम अभियंताओं द्वारा स्व-सत्यापन को अनुमति देने के लिए डिस्कॉम द्वारा केन्द्रीय नियामक प्राधिकरण अधिसूचना में संशोधन किए गए।
- प्रक्रिया को 15 दिन के भीतर समाप्त करने के लिए डीईआरसी और एमईआरसी द्वारा आपूर्ति संहिता विनियम और निष्पादन मानक (एसओपी) विनियम में संशोधन किए गए।
- दिल्ली और मुंबई में अब औद्योगिक/व्यावसायिक कनेक्शन 15 दिन में दिए जा रहे हैं।
- टाटा पावर ने अपने सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स (एसएआईडीआई) को 2.42 तक और सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रिक्वेंसी इंडेक्स (एसएआईएफआई) को 2.41 तक उन्नत किया है।
- बृहान् मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एण्ड ट्रांसपोर्ट (बीईएसटी) ने अपने सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स (एसएआईडीआई) को 1.72 तक और अपने सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रिक्वेंसी इंडेक्स (एसएआईएफआई) को 3.26 तक उन्नत किया है।

4. विदेशों में व्यापार

- कोरिया से ऑटोमोबाइल के आयात को प्रभावित करने वाले सुधार : जेएनपीटी में दिनांक 1 जून, 2015 से 31 मई, 2016 (वर्ल्ड बैंक केस स्टडी की अवधि) की अवधि के दौरान 1637 आयात घोषणाएं फाइल की गई हैं। जहां आयातकर्ता ने उचित सीमा शुल्क का भुगतान किया है, सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कार्गो निकासी करने में 19.59 घंटो का औसत समय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि कोरिया से आने वाले 80% से अधिक ऑटोमोबाइल शिपमेंट बिना जोखिम वाले माने जाते हैं और यदि आयातकर्ता ने उचित सीमा-शुल्क का भुगतान किया है तो सीमा-शुल्क निकासी 6 माह के भीतर करती है।

- न्यूयॉर्क को इलेक्ट्रिकल मशीनरी के निर्यात को प्रभावित करने वाले सुधार : तारीख 1 जनवरी, 2016 के अनुसार, भारतीय सीमा-शुल्क प्राधिकारी किसी दस्तावेज पर उपभोक्ताओं के भौतिक हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं करते हैं, बशर्ते कि दस्तावेज डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हैं।

....4/-

- तारीख 1 अप्रैल, 2016 के अनुसार, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरचेंज गेटवे (आइसगेट) पोर्टल लॉंच किया है, जो एकीकृत सीमा-शुल्क घोषणा, प्रविष्टि के बिल और शिपमेंट के बिल की ई-फाइलिंग के लिए है। आइसगेट आवेदकों और सीमा-शुल्क के बीच आंकड़ों और पत्राचार के संव्यवहार की सुविधा भी प्रदान करता है।
- केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने 6 अन्य विभागों अर्थात् एफएसएसएआई, पशु संगरोध, वनस्पति संगरोध, औषधि नियंत्रक, वन्य जीव नियंत्रक ब्यूरो और आयात के लिए वस्त्र समिति, को एकीकृत करते हुए आइसगेट पोर्टल पर सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फेसिलिटैटिंग ट्रेड (स्विफ्ट) को लागू किया है। कृषि सामग्री के आयात की अनापत्ति के लिए सिंगल विंडो के अंतर्गत सीमा शुल्क के आइसगेट और वनस्पति संगरोध सूचना प्रणाली (पीक्यूआईएस) के बीच ऑनलाइन संदेशों का आदान-प्रदान भी लागू किया गया है।
- सीमा-शुल्क की जोखिम प्रबंधन प्रणाली का विस्तार जोखिम आधारित निरीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अन्य नियामक एजेंसियों तक किया गया है। संगरोध आदेश, 2003 की अनुसूची VII के तहत निम्न पादप स्वच्छता जोखिम कृषि संबंधी सूचीबद्ध 168 वस्तुओं की 5% क्रमरहित निरीक्षणों के लिए पहचान की गई है। उन देशों, जहां एज़ोंडाई पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, से आयात की अनिवार्य जांच को 25% तक कम कर दिया गया है।
- प्रत्यक्ष सुपुर्दगी को भेजे गए माल की संख्या की सूची को वस्तुओं की तुरंत सुपुर्दगी की सुविधा देते हुए हटा दिया गया है।
- टर्मिनल हैंडलिंग पावतियों का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिनल इंडिया और न्हावा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को वेब आधारित वेब-प्ररूप 13 से समाप्त कर दिया गया है।
- आयात और निर्यात घोषणाएं और घोषणापत्रों की फाइलिंग डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन किया गया है। आयातकर्ता, निर्यातकर्ता सीमा-शुल्क दलालों, शिपमेंट परिवहन कंपनियों और एयरलाइंस की सेवाओं का उपयोग करते हुए अनिवार्य रूप से डिजिटल हस्ताक्षर करके दिनांक 01/01/2016 से सीमा-शुल्क दस्तावेज दायर कर सकते हैं।
- मैनुअल, पेपर आधारित सुपुर्दगी आदेश की बजाए दिनांक 14.10.2016 के परिपत्र द्वारा शिपिंग और संरक्षकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रणाली अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी प्रारंभ की गई थी।
- प्रत्येक बड़े सीमा-शुल्क बंदरगाह और केन्द्रीय स्तर के हवाईअड्डे पर सीमा-शुल्क निकासी सुविधा समिति गठित की गई है।

- सीमा-शुल्क द्वारा भौतिक नियंत्रण और पब्लिक एवं प्राइवेट गोदामों को ताला लगाने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर रिकॉर्ड आधारित नियंत्रणों को प्रारंभ कर दिया गया है।
- 19 बंदरगाहों और 17 वायु कार्गो पत्तनों पर अब सीमा-शुल्क निकासी 24x7 उपलब्ध है।
- निर्यात और आयात के लिए अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या कम करके आयात एवं निर्यात, प्रत्येक के लिए 3 कर दी गई है। पहले निर्यात के लिए 7 दस्तावेज और आयात के लिए 10 दस्तावेज अपेक्षित थे। दिनांक 12.03.2015 की अधिसूचना के माध्यम से इसे लागू किया गया है।
- बंदरगाह ने निर्यात कंटेनरों के लिए प्रवेश समय 5 दिन से घटा कर 4 दिन कर दिया है, जो आगे 24 घंटो के समय तक कम करेगी।
- सीबीईसी ने दिनांक 26.04.2016 के परिपत्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से आयातित वस्तुओं के संबंध में केवाईसी मानकों में शिथिलता दी है।
- आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं की चयनित श्रेणी के लिए देरी से भुगतान की सुविधा प्रारंभ की गई है। यह प्रावधान चुंगी का भुगतान किए बिना कार्गो को भेजने में समर्थ करता है, जिससे अपेक्षाकृत तीव्र निकासी व्यवसाय में नकदी में सुधार होगा।

5. इंसोल्वेंसी का समाधान

- राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी अपील विधि अधिकरण को चालू किया गया है।

.....5/-

- भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत दिनांक 15 दिसंबर, 2016 को परिसमापन मापदंड अधिसूचित किए हैं।
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को लागू करने के लिए दिनांक 30 नवंबर, 2016 को कारपोरेट दिवाला समाधान प्रावधान अधिसूचित किए गए हैं।
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को लागू करने के लिए दिनांक 23 नवंबर, 2016 को दिवाला व्यावसायिकों के लिए विनिमय अधिसूचित किए गए हैं।
- दिवाला व्यवसायिक एजेंसी विनियमनों को दिनांक 21 नवंबर, 2016 को अधिसूचित किया गया है।

6. संविदा का प्रवर्त्तन

- दिनांक 07 जनवरी, 2016 को महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक प्रभाग पीठें और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग पीठें उच्च न्यायालय के अधीन स्थापित की हैं।
- दिल्ली उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग और अपीलीय प्रभाग स्थापित किए गए हैं।
- मध्यस्थता और समझौता अधिनियम में मध्यस्थता प्रक्रियाओं और आधारों जिस पर फैसले को चुनौती दी जा सकती है, में लगने वाले समय को कम करने हेतु संशोधन किया गया है।
- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) को आम जनता के लिए 19 सितंबर, 2015 को खोला गया। एनजेडीजी केस पंजीकरण, वाद सूची, वाद स्थिति, और देश में जिला स्तर तक की न्यायालयों के आदेशों/निर्णयों सहित केस डाटा के लिए डाटा वेयरहाउस है।

7. संपत्ति पंजीकरण

- मुबई उप रजिस्ट्रार कार्यालयों का भूमि रिकार्ड विभाग के साथ समेकन पूरा हो चुका है। पंजीकरण डाटा को भूमि रिकार्ड विभाग के साथ एलआर-एसआरओ संयोजन के भाग के रूप में राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत साझा किया जा रहा है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ई-परिवर्तन के लिए

किया जा रहा है और वर्तमान में 358 तहसील में जिसमें राज्य के 427 उपरजिस्ट्रार के कार्यालय शामिल है, में कार्यान्वित किया जा रहा है।

- महाराष्ट्र में सभी संपत्ति कर रिकार्डों का डिजीटलीकरण किया जा चुका है।
- मुबंई में नागरिक संपत्ति विवरण ई-सर्च सुविधा का प्रयोग कर देख सकते हैं।
- मुबंई में एसआरओ से मुलाकात हेतु समय को आनलाइन ई-स्टेपिन बुक्स स्लाट के द्वारा किया गया है।
- महाराष्ट्र में अचल संपत्ति पंजीकरण से संबंधित शिकायतों को आनलाइन किया गया है।
- इसके आगे एक परियोजना "ई-डिसनिक साफ्टवेयर" (राजस्व न्यायालय) को भूमि विवाद सूचना को आनलाइन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है।
- दिल्लीः 356 गांव में से, 52 गांव में उनके शाब्दिक डाटा को पूर्णतया डिजिटलीकरण कर दिया गया है और आनलाइन डिजीटली हस्ताक्षरित आरओरआरएस जारी किया जा रहा है। 63 अतिरिक्त गांव को भी उनके आरओआर आनलाइन जारी किए जाएंगे। भू-कर-संबंधी नक्शों का डिजीटलीकरण कर दिया गया है। 28 नक्शो को मान्य कर दिया गया है। शाब्दिक और स्थानिक डाटा का समेकन शुरू हो गया है।
- दिल्ली में सभी उप रजिस्ट्रार कार्यालयों का डिजीटलीकरण कर दिया गया है और उपरजिस्ट्रारों के रिकार्डों को भूमि रिकार्ड विभाग के साथ समेकन कर दिया गया है।
- दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए आदर्श बिक्री विलेख राजस्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- दिल्ली में एक इलेक्ट्रानिक डाटा बेस सीमाओं की रिकार्डिंग, बिन्दुओं की जांच, भू-कर-संबंधी सूचना उपलब्ध कराने को पूरा कर लिया गया है।
- दिल्ली में भूमि स्वामित्व रजिस्ट्री और मैपिंग एजेसी डेटाबेस का संयोजन प्रायोगिक आधार पर पूरा किया गया।

....6/-

8. ऋण प्राप्त करना

- सरफेसी (केंद्रीय रजिस्ट्री) नियम, 2011 का संशोधन किया गया है। संशोधन नियम 4 को संशोधित करता है जिससे अतिरिक्त प्रकार के प्रभार जिसमें अचल संपत्ति जिसमें बंधक द्वारा स्वतः विलेख का जमा करना के सिवाय सुरक्षा हित, संयंत्र और मशीनरी का गिरवी में सुरक्षा हित, स्टाक, ऋण जिसमें लेखाबही ऋण या प्राप्तकर्ता शामिल हैं, अमूर्त आस्तियों में "सुरक्षा हित" बिंग नो हाउ, पेटेंट, कापीराइट, ट्रेडमार्क और कोई अन्य व्यवसाय या समान प्रकृति का वाणिज्यिक हित अधिकार और निर्माणाधीन आवासीय या वाणिज्यिक भवन में या उसके भाग सुरक्षा हित शामिल है। ये संशोधन सीईआरएसएआई (सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाईजेशन एसेट रीकंसट्रक्सन एंड स्कियूरीटी इंटेरेस्ट) को इन अतिरिक्त प्रभारों को पंजीकृत करने की अनुमति देता है।

9. करों की अदायगी

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम को संदाय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अंशदान 58 बैंको, डेबिट कार्डो या क्रेडिट कार्डों के जरिए आनलाइन किया जा सकता है।
- ईएसआईसी ओर ईपीएफओ रिटर्न को एकीकृत किया गया है और श्रम सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है।
- महाराष्ट्र के बिक्री कर विभाग में कर विवरणियों में फाइलिंग, कर अदायगी और कर अनुपालना के भौतिक स्पर्श बिन्दु की समाप्ति आनलाइन रिटर्न फाइलिंग और आनलाइन अदायगी जीआरएएस (सरकारी प्राप्ति लेखांकन प्रणाली) के जरिए वैट, सीएसटी, व्यवसायिक कर, विलासिता कर और प्रवेश कर प्रारंभ किया है।
- इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) को एक टैक्स रिटर्न के संभावित मोड के रूप में प्रारंभ किया गया है। पूर्व में कुछ कर दाताओं की कोटियों को आईटीआर - 5 प्ररूप को डाक द्वारा टैक्सी विवरणी को प्रस्तुत करना आवश्यक था। ईवीसी के प्रारंभ ने इलेक्ट्रानिकी रूप से टैक्स रिटर्न की फाइलिंग प्रक्रिया शुरू की इसने टैक्स रिटर्न की फाइलिंग अवधि को भी काफी कम कर दिया है। वर्ष के दौरान आयकर, के सभी कोटियों को करदाताओं के लिए काफी असंगत कालमों को हटाकर सरल बनाया गया है। इसके आगे कर लेखा परीक्षक रिपोर्ट जो कि आनलाइन फाइल करना आवश्यक है, का मानकीकरण और उसे कंपनी अधिनियम, के प्रावधानों के साथ सुसंगत बनाया गया है।
- सीबीडीटी के साथ कारपोरेट टैक्स विवरणी दायर करने या उसे संशोधित करने के लिए ई-फाइलिंग का विकल्प उपलब्ध है।

*****